

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1988 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किया गया - 2025

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाला सं०	खसरा नंबर	एकका	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्राप्ति	दिनांक
1.	2	3	4.	5.	6.	7.
1	195	633	0.9757	<p>1. सुरज देवी पत्नी स्व. राजू दे. 2/3 जोरि माली सा. दे. खाते पर 2. इंसानुज खासामी दे. 1/3 जोरि- राजपुत्र सा. खदान खाते पर रा. दे. 1/3 (जो. खा. माली) राजस्थान म. र. कार्यालय के द्वारा 21/12/25</p>	<p>1. सुरज देवी पत्नी स्व. राजू दे. 2/3 जोरि माली सा. दे. खाते पर 2. इंसानुज खासामी दे. 1/3 जोरि- माली सा. खदान खाते पर रा. दे. 1/3 (जो. खा. माली) राजस्थान म. र. कार्यालय के द्वारा 21/12/25</p>	<p>पं. र. 2025/195 मू. अं. 21/12/25</p>
<p>मुताबिक भिन्न / जमाबंदी संवत् 2076-2079 (वर्ष 2019) से मू. अं. के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1988 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा शुद्धि के समस्त श्रवण योग्य है।</p>						
<p>साविक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>						
<p>पं. र. 2025/195 मू. अं. 21/12/25</p>						
<p>पं. र. 2025/195 मू. अं. 21/12/25</p>						

Signature
24/12/25

पटवारी (सुरक्षित)
राजस्थान-आबूरोड (सिरोही)

दिनांक 21/12/25

ह. मू. अं. 21/12/25

राजस्थान अधिकांशिक
जिला-सिरोही

उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
ह. उपखण्ड अधिकारी

अधिकारी